कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 3267 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 11 ,जनवरी, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद–भोगॉव राज्य मार्ग सं0–84 के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल0 6.56 कि0मी0) कुल लम्बाई 25.66 कि0मी0 तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 4645 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1503 / मैनपुरी / 25364 / 2017 दिनांक 01.12.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के कार्यालय का पत्रांक 1596 / 14–1 दिनांक 03.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी द्वारा सन्दर्भित पत्र से प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, के आधार पर निम्नवत् है :–

Obser. No	Observation	Reply
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है । प्रमाणित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड करने का कष्ट करें ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है ।
2	परियोजना में विद्यमान ROW, विद्यमान मार्ग , प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण क उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना एवं गैर वनभूमि की चैनेजवार अलग–2 गणना संलग्न नही है । सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें एवं ऑनलाईन पार्ट–1 व 2 पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।	दिये गये निर्देशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्ताव में आनलाइन अपलोड कर संलग्न कर दिये गये है ।
3	चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । पृष्ठ सं0 97 व 98 पर संलग्न योजना को पृथक कर दें व प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड कराने व संलग्न कराने का कष्ट करें कि सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनो ओर स्थान रिक्तता के आधार पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किया जायेगा ।	चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव से पृथक कर दी गई है एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनो ओर स्थान रिक्तता के आधार पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है ।

4	ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड संरक्षति वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संरक्षति वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर प्रति ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड कर दी गयी है ।
5	ऑनलाइन पार्ट–2 पर समस्त आवश्यक अभिलेख यथाः– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता व एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में सेंचुरी/वन्यजीव विहार की उपलब्धता, मक डिस्पोजल प्लान, आदि समस्त अभिलेख आनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें ।	दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्ताव में आनलाइन अपलोड कर दिये गये है ।
6	उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एंव तदनुसार विषय–सूची को अपडेट कराने का कष्ट करें ।	उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एंव तदनुसार विषय–सूची को अपडेट कर दिया गया है ।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

11.1.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3267 / समदिनांकित ।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।

11.1.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

Received 3 files.
Rs
11/01/2018